न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला—बून्दी

पीठासीन अधिकारी :— श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 01 / 2022 ता0 रजू 07.01.2022

GCMS ID-2022/245

उनवान

1. बिन्टू उर्फ नेमीचन्द पुत्र रमेशचन्द जाति मीणा निवासी सेंलादाता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. सोधरी देवी पत्नी रमेशचन्द जाति मीणा निवासी सेंलादाता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

—वादीगण—

बनाम

1. काली पुत्री देवा जाति मीणा निवासी सेलादांता तहसील हिण्डोली।
2. जयसिंह आ0 देवा जाति मीणा निवासी सेलादांता तहसील हिण्डोली।
3. प्रेम पुत्री देवा जाति मीणा निवासी सेलादांता तहसील हिण्डोली।
4. प्रेमसिंह पुत्र देवा जाति मीणा निवासी सेलादांता तहसील हिण्डोली।
5. मोत्या पुत्री देवा जाति मीणा निवासी सेलादांता तहसील हिण्डोली।
6. राजेश पुत्र देवा जाति मीणा निवासी सेलादांता तहसील हिण्डोली।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत :— तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—
श्री चन्द्रप्रकाश जैन वकील वादीगण
प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांकः—31.01.2025

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 105 खसरा संख्या 433 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 435 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 436 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 437 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा संख्या 438 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, खसरा संख्या 439 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 440 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा संख्या 448 / 691 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 449 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा संख्या 450 रकबा 0.7689 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.0918 हैक्टेयर वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जिसमें वादीगण का 1 / 4 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का हिस्सा 1 / 12 निहित है। मुताबिक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। वाद की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पक्षकारान की पेत्रिक सम्पत्ति है जिसका वर्षो पहले पारिवारिक रूप से आपसी सहमति से बंटवारा हो गया है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं होने से विभिन्न प्रकार की कानूनी अडचने आती है, ऋण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्राप्त करने तथा भूमि सुधार करने में अवरोध होता है तथा मौके पर ज्यादा कम भूमि भी हो रही है इसलिए वादीगण उक्त भूमियों का राजस्व रिकॉर्ड में भी बंटवारा करवाना चाहता है। इस हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई मर्तबा कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा दिनांक 25.10.2021 को वादीगण के हिस्से की भूमि में भी कब्जा करने की धमकी दी यही वाद का कारण है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि हिस्से के अनुसार भूमियों का बंटवारा करवाकर खाता पृथक–पृथक करवाये एवं राजस्व नक्शे में तरमीम करवाये एवं बंटवारे के अनुसार कब्जा प्राप्त करे तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वादीगण के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे वादीगण को बेदखल नहीं करे, काश्त करने से नही रोके ऐसा न स्वयं करे एवं न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये। प्रतिवादी संख्या 7 भूमिधारी होने से प्रतिवादी पक्षकार के रूप से संयोजित किया गया है। भूमि वाके ग्राम पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद के श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर अन्दर अवधी पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 105 खसरा संख्या 433 रकबा 0. 4694 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 435 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 436 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 437 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा संख्या 438 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, खसरा संख्या 439 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 440 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा संख्या 448/691 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 449 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा संख्या 450 रकबा 0.7689 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.0918 हैक्टेयर वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी को हिस्से के अनुसार भूमियों का बंटवारा करवाकर खाता पृथक–पृथक करवाये एवं राजस्व नक्शे में तरमीम करवाये एवं बंटवारे के अनुसार कब्जा प्राप्त करे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वादीगण के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे वादीगण को बेदखल नहीं करें, काश्त करने से नहीं रोके ऐसा न स्वयं करे एवं न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादी को प्रदान की जावे।

वादि वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। तथा प्रतिवादी नं. 01 लगायत 06 वाबजूद तामिली के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। प्रतिवादी संख्या 7 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 105 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली पेश किये है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादीगण/प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः– 24.01.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/24/4207 दिनांकः– 23.12.2024 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादीगण के अधिवक्ता की सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :–

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम पेंच की बावडी की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
	बिन्टु उर्फ नेमीचन्द पुत्र रमेशचन्द्र हिस्सा 1/2, सोधरी देवी पत्नी रमेशचन्द्र हिस्सा 1/2 जाति मीना सा0 सैंलादांता खाते0 रहन जमाबंदी अनुसार।	433 434 435	0.4694 0.0243 0.3642

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

		436 437 438/1 439/1	0.2428 0.1538 0.2550 0.0364
	योग	किता– 07	1.5459
2.	1. काली पुत्री देवा हिस्सा 1/6 जाति मीना सा0 सैंलादांता खातेदार 2. जयसिंह पुत्र देवा हिस्सा 1/6 जाति मीना सा0 सैंलादांता खातेदार रहन जमाबन्दी अनुसार। 3. प्रेम पुत्री देवा हिस्सा 1/6 जाति मीना सा0 सैंलादांता खातेदार रहन जमाबन्दी अनुसार। 4. प्रेमसिंह पुत्र देवा हिस्सा 1/6 जाति मीना सा0 सैंलादांता खातेदार 5. महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलाद हिस्सा 10/80 जाति मीना सा0 सैंलादांता खातेदार 6. लाली कुमारी पुत्री प्रहलाद हिस्सा 17/81 जाति मीणा सा0 सैंलादांता खातेदार	438/2 439/2 440 448/691 450 449	0.0121 0.0688 0.3966 0.1700 0.7689 0.1295
	योग	किता–06	1.5459

नक्शे में वादी के हिस्से में रहने वाली भूमियों को नीले पेन से व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियों को लाल पेन से एवं भूमियों में आने जाने वाले रास्ते को हरे पेन से दर्शाया गया है। तदनुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली